

रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत), साजा, जिला-बेमेतरा (छ0ग0)

// आदेश //


क्रमांक / 120 / पंचा.आम.नि. / ज.प. / 2024-25

साजा, दिनांक 22/2/2025

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 में मतदान दल क्रमांक 243 के आपकी इयूटी मतदान अधिकारी ~~पौजलीन अधिकारी~~ के रूप में आपकी इयूटी लगाई गई थी। किन्तु श्री ~~महेन्द्र~~ ~~साह~~ पदनाम शिक्षक (सल. बी.) संस्था ~~शाला पूर्व माध्यमिक~~ ~~शाला बेमेतरा शाला बेमेतरा (460330)~~ के द्वारा अनुपस्थित पाया गया।

इनका यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरित एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और छ.ग. स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 अंतर्गत कार्यवाही योग्य होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।


निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला-बेमेतरा नियत किया जाता है। इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।


रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत)
साजा, जिला-बेमेतरा

पृ.क्र. / 121 / पंचा.आम.नि. / ज.प. / 2024-25
प्रतिलिपि:-

साजा दिनांक 22/2/2025

1. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बेमेतरा को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ।
3. संबंधित श्री को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत)
साजा, जिला-बेमेतरा